सत्यमेव जयते
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
जनगणना कार्य निदेशालय, राजस्थान
DIRECTORATE OF CENSUS OPERATIONS, RAJASTHAN
6–बी, झालाना डूंगरी, जयपुर–302004
6-B, JHALANA DOONGRI, JAIPUR-302004
दूरभाष/Phone : 0141- 2708078, 2709177 फैक्स/ Fax: 2707090
ई-मेल/ E-mail : dco-raj.rgi@censusindia.gov.in

उच्च प्राथमिकता

F.No. I-11015/1/2018/Census/ 457 दिनांक – 4-12-2018

भारत की जनगणना–2021 परिपत्र सं.–2

समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी
नगर निगम/परिषद्/पालिका
.....

विषयः 2021 की जनगणना के लिये नगरीय समूह (Urban Agglomeration) के संबंध में।

महोदय,

जैसा कि आपको विदित है कि भारत की आगामी जनगणना सन् 2021 में होनी है जिसकी प्रारम्भिक तैयारियां जनगणना कार्य निदेशालय, राजस्थान द्वारा शुरु की जा चुकी है। 2011 की जनगणना के पश्चात् संभवतः स्थानीय निकायों (नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगर पालिकाओं आदि) के क्षेत्राधिकारों में परिवर्तन हुआ होगा जिसके कारण संबंधित तहसील के कुछ राजस्व ग्राम पूर्ण अथवा आंशिक रुप से आपके नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित हुए होंगें।

ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों का स्पष्ट निर्धारण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जनगणना के आंकड़े नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिये पृथक पृथक प्रकाशित किये जाते है। नगरीय क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित नगर निगम, नगर परिषद्, नगरपालिकायें, केन्टोनमेन्ट बोर्ड, एवं अधिसूचित क्षेत्र समिति (Notified Area Committee) आते है। ऐसे क्षेत्रों से सटे हुए कुछ ऐसे स्थान, जिसमें सम्पूर्ण राजस्व ग्राम या उसका कुछ भाग जिनमें ग्रामीण क्षेत्र होते हुए भी नगरीय क्षेत्र के लक्षण पाये जाते है, इन क्षेत्रों में आवासीय कॉलोनियां, मध्यम या बड़े पैमाने के औद्योगिक प्रतिष्ठान, प्रतिरक्षा प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय इत्यादि हो सकते है। ऐसे स्थान नगरीय क्षेत्रों से एकदम सटे होने के कारण वे संबंधित नगरपालिकाओं की अपवृद्धि (Outgrowth) नजर आते हैं तथा सामान्य तौर पर नगरीय क्षेत्र के ही अंश या भाग नजर आते हैं जिनकी पृथक से पहचान करना संभव नहीं होता । ऐसी प्रत्येक इकाई स्वतन्त्र नगरीय इकाई के मानदण्डों को पूर्ण नहीं करती है किन्तु मौजूदा नगर/ कस्बे में सम्मिलित किय जाने की लगातार नगरीय विस्तार (बाह्य विस्तार) की अर्हता को पूर्ण करती

है। ऐसे स्थानों को अगर ग्रामीण क्षेत्र मानकर जनगणना की जाये तो यह वास्तविकता से परे होगा।

1971 की जनगणना में पहली बार इस प्रकार की स्थिति को दर्शाने के लिए नगरीय समूह (Urban Agglomeration) की संकल्पना को लिया गया तथा 1981, 1991, 2001 व 2011 की जनगणनाओं में भी इस संकल्पना को दोहराया गया तथा 2021 की जनगणना में भी इस संकल्पना को जारी रखने का निर्णय लिया गया है।

"नगरीय समूह" से तात्पर्य ऐसी स्थिति से है जहां (i) दो या दो से अधिक नगरपालिका क्षेत्र आपस में सटे हुए हों अर्थात् उनकी नगरीय सीमायें एक दूसरे से मिलती हों या (ii) एक नगरीय क्षेत्र के साथ कुछ ऐसे ग्रामीण क्षेत्र (सम्पूर्ण या आंशिक राजस्व ग्राम) लगे हों जहां नगरीय होने के सभी लक्षण मौजूद हों। (iii) ऐसे दो या दो से अधिक पास में सटे हुए नगरों को एक एक बड़े नगर के साथ सटे हुए ऐसे ग्रामीण क्षेत्र (अपवृध्दि) को जिसमें नगरीय (Urbanization) के लक्षण हों, आपस में मिलकर नगरीय समूह कहलाते है।

2011 की जनगणना के दौरान जो स्थान नगरीय समूह की परिभाषा के अनुरुप (ग्रामीण क्षेत्र होते हुए भी) नगरीय अपवृध्दि (Urban Outgrowth) माने गये थे उनकी सूची परिशिष्ट–1 पर संलग्न है। इन स्थानों को चाहे वे पूर्ण राजस्व ग्राम न होकर उनके अंश ही क्यों न हों, उन्हें भी 2021 में भी अपवृध्दि ही माना जायेगा बशर्ते कि वे अन्य आवश्यक शर्ते अभी भी पूरी करते हों इसी आधार पर 2021 की जनगणना हेतु शीघ्र ही ऐसे समस्त स्थानों का चयन करना है जो ग्रामीण क्षेत्र में होते हुए भी नगरीय समूह के मानदण्ड में खरे उतरते हों अथवा जिन्हें बडे शहरों की अपवृध्दि माना जाकर नगरीय समूह में शामिल किया जा सके।

उक्त आधार पर "नगरीय समूह" (Urban Agglomeration) निम्न तीन स्थितियों में बनाये जा सकते है:

(अ) एक नगर व उसकी निरन्तर अपवृध्दि (continuous Outgrowth), निरन्तर बढ़ा हुआ क्षेत्र संबंधित नगरपालिका क्षेत्र में न होकर पास के सटे हुए राजस्व ग्राम या उसका भाग होना चाहिये।

(ब) दो या दो से अधिक नगरपालिकाएं जिनकी सीमायें एक दूसरे से या एक के बाद दूसरी से सटी हों व उनकी अपवृध्दियां (Outgrowths) यदि हों।

(स) एक शहर एवं उससे सटे हुए एक या एक से अधिक नगर एवं उनकी अपवृध्दियां (Outgrowths) ।

<u>महत्वपूर्ण:</u> पिछली जनगणना के समय कुछ अवसरों पर यह देखा गया है कि कुछ गांवों को नगरीय समूह में यह सोचते हुए सम्मिलित कर लिया गया कि भविष्य में यह सन्निकट नगर के लगातार फैलाव में आ जायेंगे जो कि ठीक नहीं है। नगरीय समूह का निर्धारण करते समय वर्तमान लगातार विस्तार (existing continuous spread) को ध्यान में रखना चाहिए न कि भविष्य के विस्तार को। "नगरीय समूह" का निर्धारण करने से पूर्व निम्न बातों की जांच करना अति आवश्यक है:

I. किसी भी नगरपालिका क्षेत्र एवं उसके निकट के ऐसे गांव या गांवों, जिनमें नगरीकरण के लक्षण मौजूद हों, के बीच कोई गैर आबाद गांव या अन्य ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है जिसमें नगरीकरण के लक्षण प्रतीत नहीं होते तो ऐसी सूरत में ऐसे स्थान को संबंधित नगरीय क्षेत्र की अपवृध्दि नहीं माना जा सकता क्योंकि दोनो स्थान (नगरपालिका क्षेत्र तथा वह ग्रामीण क्षेत्र जिसमें नगरीयकरण के लक्षण मौजूद नहीं हैं) आपसे में सेटे हुए नहीं हैं और एसे स्थानों के बीच गैर–आबाद या ऐसी ग्रामीण क्षेत्र आता है जिसमें नगरीकरण के लक्षण मौजूद नहीं है।

II. यदि किसी मुख्य नगरीय क्षेत्र (कस्बे) के समीप कोई कस्बा है लेकिन वह मुख्य कस्बे से वस्तुतः जुड़ा हुआ नहीं है बल्कि किसी मध्यवर्ती ग्रामीण क्षेत्र द्वारा अलग है तो ऐसे कस्बे नगरीय समूह नहीं बनेंगें। उन्हें नगरीय समूह बनाने के लिये तभी माना जायेगा जब मध्यवर्ती ग्रामीण क्षेत्र ऐसी नगरीय विशेषतायें प्राप्त कर लेता है जो उसे नगरीय बाह्य विकास मानने योग्य बनाती है।

III. किसी भी कस्बे के बाह्य विकास का निर्धारण करते समय यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि उसमें नगरीय लक्षण आधारित संरचनाऐं एवं सुविधाऐं तथा पक्का रोड, बिजली, नल, गंदे पानी की निकासी के लिए नालियां, शिक्षण संस्थायें, डाकघर, चिकित्सा सुविधायें तथा बैंक आदि विद्यमान हैं। बाह्य विकास, (Out grouth) किसी ग्राम या हेमलेट या गणना ब्लॉक जैसी व्यवहारिक इकाई होनी चाहिए तथा सीमाओं (boundaries) एवं अवस्थिति (Location) की दृष्टि से उनकी स्पष्ट पहचान होनी चाहिये।

इस संबंध में आपसे अनुरोध है कि आप अपने जिले के प्रस्ताव नगरीय क्षेत्र की अपवृध्दियों को ध्यान में रखते हुए शीघ्र ही 31 दिसम्बर 2018 से पूर्व संलग्न प्रोफार्मा (परिशिष्ट–2) में भरकर भेज देवें जिससे कि इस कार्यालय द्वारा आपके प्रस्तावों की विधिवत जांच कर उन्हें अन्तिम रुप दिया जा सके तथा भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त को समय पर भेजा जा सके। प्रत्येक अपवृध्दि के प्रस्ताव के साथ उसका एक नजरी नक्शा भी बनवाकर आवश्य भिजवायें जिसमें संबंधित नगर व उसके आसपास के गांव दर्शाये गये हों। नमूने के तौर पर जोधपुर नगर समूह का नक्शा परिशिष्ट 3 के रुप में संलग्न है। ऐसे नक्शों में जिस गांव में अपवृध्दि प्रस्तावित हो, उसको (पूरे या अंश को जैसी भी स्थिति हो) लाल स्याही से शेड करवा दें। इस संबंध में उचित होगा कि प्रस्ताव तैयार करने के उपरान्त किसी वरिष्ठ (senior) अधिकारी से मौके की जांच करवालें फिर प्रस्ताव वांछित प्रलेखों के साथ इस कार्यालय को भिजवा दें। इस संबंध में निदेशालय के पत्र क्रमांक 390 दिनांक 26.09.18 द्वारा पूर्व मे भी दिशा निर्देश जारी किये गये थे।

चूंकि यह महत्वपूर्ण विषय है अतः आपसे अनुरोध है कि इस कार्य को आप स्वयं या किसी वरिष्ठ अधिकारी की देखरेख में करवायें। यदि आपके जिले में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं हो तो भी इसकी सूचना (शून्य) अवश्य भिजवाने का श्रम करें।

कृपया पत्र की पावती भिजवाने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सलविन्द्र सिंह सोहता)
निदेशक

संलग्नः परि. 1 से 3

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ भिजवाई जा रही है कि सम्बन्धित को शीघ्र कार्यवाही करने हेतु आदेश प्रदान करावें।

1. शासन सचिव, स्वायत शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर
2. समस्त जिला कलक्टर
3. निदेशक, स्वायत शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर

(सलविन्द्र सिंह सोहता)
निदेशक